" उत्कर्ष एक पहल "

का

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- " उत्कर्ष एक पहल "

2. प्रधान कार्यालय :- इस संस्था का प्रधान कार्यालय- ग्राम- शेखपुरा पो0- ढेलवां, थाना- रामकृष्णानगर, जिला- पटना पिन कोड- 800020 (बिहार) में रहेगा । आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।

3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।

4. वर्ष :- संस्था का वित्तीय वर्ष प्रथम अप्रील से 31 मार्च होगा ।

5 उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :

1. संस्था द्वारा समाज के असहाय महिलाओं, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासियों, अनाथों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना ।

2. संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु कार्यक्रम संचालन तथ बाढ एवं अन्य आपदा से ग्रसित लोगों को पूर्ण उत्थान एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना तथा उनके लिए हर प्रकार केराहत कार्यो का सम्पादन करना साथ ही लोगों को आपदा से संबंधित एव खोज एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जिससे वे आत्मनिर्भरह ो सके एवं सभी प्रकार का प्रशिक्षण ले सके ।

3. संस्था द्वारा खेल कूद का प्रशिक्षण एवं खेल कुद का आयोजन करना ।

4. संस्था द्वारा युवक-युवतियों को तीरनान्दाजी, निशानेबाजी आदि खोलों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना तथा प्रतियोगिका आयोजन करना एवं प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना ।

5. संस्था द्वारा समाज के सभी वर्गों के गरीब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराना । परिवार कल्याण शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर, टीकाकरण शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि का संचालन करना । असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0 कालाजार हेपटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा, एम्बुलेंस सेवा, चलन्त चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा संस्था द्वारा लोगों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण करना तथा एसीड अटैक पीड़ित व्यक्ति को हर संभव चिकित्सा एवं सहायता प्रदान करना ।

6. संस्था द्वारा निःसहाय महिलाओं एवं पूरूषों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनने में मदद करना ।

7. संस्था द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकणकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, मोबाईल मरम्मति, इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकि शिक्षण संस्थानों का संचालन करना ।

Scanned with ACE Scanner

8. संस्था द्वारा महिला श्रमिक, बाल श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना । उनके लिए शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना ।
9. विकलांगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करना ।
10. संस्था द्वारा पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । सौर उर्जा, प्राकृतिक उर्जा, अपारम्परिक ऊर्जा का प्रचार-प्रसार करना । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना । लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय, यातायात के नियमों का प्रचार-प्रसार करना ।
11. संस्था द्वारा अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना ।
12. संस्था द्वारा कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न स्तर के व्यवसायिक पाठ्क्रमों का संचालन, हार्ड वेयर, साफ्टवेयर, इन्टरनेट आदि विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण देना ।
13. संस्था द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेगी तथा आवासीय विद्यालय, प्रौढ शिक्षा, सर्व शिक्षा, पुस्तकालय, वाचनालय, पठन-पाठन कक्ष, छात्रावास, अनौपचारिक शिक्षा,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय, मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना तथा गरीब असहाय, विकलांग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हर संभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना ।
14. संस्था द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, महिला सशक्तिकरण, बालबाड़ी स्वयं सहायता समूह, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र का संचालन करना तथा गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार वितरण केन्द्र का संचालन कराना तथा जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकान का संचालन कराना ।
15. संस्था द्वारा असहाय महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने एवं समाज के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, गुडिया निर्माण, पत्तल, ठोंगा, मोमबती बनाना एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण सौन्दर्य एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देना ।
16. संस्था द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियॉ जैसे बाल-विवाह, दहेज प्रथा, आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना । आदर्श विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना ।
17. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन, वर्मी खाद, मशरूम, मखाना की खेती, जलछाजन, जलसंचयन, आदि उपलब्ध कराना । औषधीय पौधों एवं नगदी पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ।
18. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना । पत्र-पत्रिकाओं का वितरण एवं संग्रह करना । नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य एवं प्रशिक्षण का संचालन कराना ।
19. प्राथमिक उपचार फस्ट एड, होम नर्सिग, ड्रेसिंग आदि का प्रशिक्षण देना ।

Scanned with ACE Scanner

20. संस्था द्वारा वन्य जीव, पशु-पक्षी एवं लावारिश पशु के सरंक्षण हेतु प्रयास करना ।
21. उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना एवं जागरूक करना ।
22. संस्था द्वारा देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना आदि कार्यक्रमों का संचालन करना ।

संस्था द्वारा अन्य कार्य :-

(क) संस्था के कार्यक्षेत्र में ग्रामीणों के आर्थिक, नैतिक और सामाजिक स्तर को सुधारना ।

(ख) गरीबी कम करने तथा ग्रामवासियों में बेहतर जीवन स्तर, आपसी सहयोग एवं एकता लाना और सामान्यतया खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा ग्रामीण विकास करना ।

(ग) खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अनुशांनिक/ प्रासंगिक गतिविधियों का प्रारंभ करना, प्रोत्साहन देना तथा सहायता करना ।

(घ) उपर्युक्त समस्त अथवा किसी एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्था का कार्य होगा कि-

23. किसी व्यक्ति प्रतिष्ठान, बैंक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग और /अथवा राज्य मंडल और अथवा संस्था और अथवा संघ / राज्य सरकार से चन्दा, दान, अनुदान संदान वसीयत और धरोहरों की, याचना प्राप्त अथवा स्वीकार करना ।
24. संस्था द्वारा अपने सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी भूमि भवन सुखाचारो (भोगाधिकारों) तथा चल और / अथवा अचल सम्पति और किसी सम्पदा अथवा हित को दान, क्रय, विनिमय, किराये के पट्टे द्वारा नियमानुसार अर्जित करना ।
25. मकानों, संरचनाओं अथवा भवनों को बनाना, निर्माण तथा रख-रखाव तथा विद्यमान भवन सहित उसमें हेरफेर विस्तार, सुधार, मरम्मत, परिवर्तन अथवा किंचित परिवर्तन एवं उसमें प्रकाश, पानी, नाली, फर्निचरों, यंत्रों, उपकरणों से सुसज्जित और / अथवा प्रत्येक भवन जिसका निर्माण किया जाना है या धारित है, उपभोग के लिए अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना है ।
26. संस्था से संबंधित जो भी परिसम्पतियों (चल अचल) है, विक्रय प्रबंध, हस्तानान्तरण विनियम, बंधक डिमाईस (मरणोपरान्त) वसीयत द्वारा हस्तानान्तरण पट्टा अथवा किराये पर देना, निपटाना अथवा सम्पति के विषय मं अन्यथा संव्यवहार करना ।

Scanned with ACE Scanner

27. संस्था से संबंधित सभी अथवा किसी चल या अचल परिसम्पतियों पर जमानत रहित या सहित अथवा बंधक, प्रभार भारा क्रांति या की जमानत पर अथवा किसी अन्य तरीके से रूपये उधार लेना तथा प्राप्त करना ।

28. संस्था के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए बैंक / बैंकों में खाता/ खाते खोलना तथा लेन-देन अथवा जैसी भी आवश्यकता हो, बैक / बैंकों के साथ संव्यवहार करना ।

29. संस्था को सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए शाखाएं खोलना तथा संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना ।

30. खादी में ग्रामोद्योग सहित सभी उद्योगों में कार्यरत व्यक्ति समान उद्देश्य वाले संगठनों तथा क्षेत्रीय जनता को रोजगार मुहैया कराने के लिए ऋण अनुदान प्राप्त करना तथा उन्हें देना आदि रिलोनिंग का कार्यक्रम चलाना ।

31. संस्था के हितों / उद्देश्यों की पूर्ति एवं क्षेत्रिय सर्वांगिण विकास के क्रम में क्षेत्रिय राष्ट्रीय भाषा प्रचार-प्रसार, संबंधित कार्यक्रमों, केन्द्रों, शिविरों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना, नई तालिम, प्रौढ शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षा आदि कार्यक्रमों, नशाबन्दी अभियान, महिलाओं, पुरूषों, की समान प्रतिष्ठा, सामाजिक समानता न्याय तथा भाईचारा संबंधी कार्यक्रमों का नियोजन जाति धर्म सम्प्रदायिक भेद भाव को भुलाकर अस्पृश्यता निवारण, जाति-पाति का अन्त बच्चों के उत्थान हेतु बाल बाड़ी केन्द्रों का संचालन, हर प्रकार के सामाजिक / सांस्कृतिक आर्थिक एवं नैतिक कल्याण जैसे राहत कार्यक्रम जिसमें बाढ़ , सुखाड, दैविक प्रकोप, निवारण के साथ ही साथ बालक, बालिकाओं, छात्र, छात्राओं के शारीरिक मानसिक, भौतिक एवं बौधिक तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों सहित उनके विकास / उत्थान संबंधी समस्त कार्यो को करना ।

32. खादी तथा ग्रामोद्योगी कार्य कार्यक्रमों सहित अन्य सभी ग्रामोद्योगी लघु उद्योगों की स्थापना विशेषकर अपंग, असहाय, गरीब, बेरोजगार अल्पसंख्यक, महिलाओं, पुरूषों, बालक, बालिकाओं, हरिजन, आदिवासी, शिक्षित, अशिक्षित बेरोजगार महिलाओं / पुरूषों के सर्वांगिण विकास हेतु कार्य करना ।

ड- संस्था के किसी भी गति विधियों की उपलब्धि के लिये प्रासंगिक अथवा संचालन/ नेतृत्व संबंधी सभी अन्य कानूनी सम्मत कार्य करना तथा इसके लिए आवश्यक खर्च करना ।

च- संस्था के लाभ का उपयोग संस्था के लक्ष्यों को पूरा करने में किया जायेगा और उसे सदस्यों में नहीं बांटा जायेगा ।

6. संस्था के कार्यो का प्रबंध संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार समय-समय पर विधिवत गठित प्रबंध समिति को सौंपा जाएगा ।

.....

Scanned with ACE Scanner